

कामगार राज्य विमा महामंडळ (कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रिय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/Regional OfficeMaharashtra पंचदीप भवन, 108, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-400 013 पंंचदीप भवन, 108, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013 Panchdeep Bhavan, 108, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Phone: 022 61209700/742 Email: rdmaharashtra@esic.nic.in, Website: www.esic.nic.in

File No.: OL/173/2024-RAJB

दि. /06/2025.

<u>परिपत्र/Circular</u>

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना वर्ष 202 5-26

Subject : Official language Implementation suggestion award scheme year 2025-26.

मुख्यालय के पत्र संख्या : ए-49/16/03/2007-रा.भा.दिनांक:16.05.2025 के अनुक्रम में सचित किया जाता है कि निगम कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजेना लागू की गई है। इस योजना से संबंधित शर्त निम्नानुसार हैं :-In pursuance of Hqrts letter no A-49/16/03/2007-.O.L, dated 16.05.2025, It is informed that Official language implementation suggestion award scheme has been implemented to promote and publicize Hindi in the corporation offices. The conditions related to this scheme are as given below

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष (01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) के दौरान प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है जिन्हें निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो।

There is a provision of cash awards and commendation certificate for the suggestions received during every financial year (from 1st April to next 31st March) which are found useful in promoting use of Hindi in the Corporation offices.

2. इस योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) भाग ले सकते हैं। तथापि निगम कार्यालयों में तैनात हिंदी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

All the officers and employees of the corporation (Medical and non-Medical) can participate in this scheme. However, Hindi officials posted in the Corporation offices can not participate in this award scheme.

3. एक सुझाव पर पुरस्कार राशि अधिकतम ₹3000/- और न्यूनतम ₹600/- होगी तथा प्रत्येक वर्ष कृल मिलाकर ₹12,000/-. तक की राशि के पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।

Maximum amount of award for a suggestion will be ₹3000/- and minimum will be ₹600/- and a total prize amount upto ₹12000/- will be sanctioned every year.

4. सुझाव देने वाले कार्मिक अपने सुझाव, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।

Personnel can send his/her suggestion through Officer concerned or directly to Rajbhasha branch of Hqrs.

5. प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा समिति की सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।

The suggestions received during each financial year will be considered by the Evaluation Committee constituted at the Headquarters and prizes will be decided on the recommendations of the Committee.

6. उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा। Useful/rewarding suggestions will also be given proper publicity mentioning the name of the

rewarding employee. कृपया संहकर्मियो/अधीनस्थों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। Please give wide publicity to the scheme among colligues/subordinates. यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This circular is being issued with the approval of Regional Director.

(अंकिता बनर्जी/Ankita Banerjee) उप निदेशक (राजभाषा)/Deputy Director (O.L.)

प्रति/To1. महानिदेशक,(राजभाषा) मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ। Director General.(OL) Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
२. निजी सचिव, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई । Personal Secretary, AC-cum-RD, Regional Office, ESIC, Mumbai.
३. सभी आधिकारी एव कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई । All Officers and Office Superintendent, Regional Office, ESIC, Mumbai.
4. सभी शाखा प्रबंधक/प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, अधीनस्थ शाखा कार्यालय/ औषधालय-सह-शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई ।
All Branch Manager/IMO Incharge, Subordinate Branch Offices/DCBO, Regional Office, ESIC, Mumbai.
5. क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालय / औषधालय-सह-शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई के सभी कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई के सभी
6. वेबसाइट प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। Website Manager, Regional Office, ESIC, Mumbai to upload it on the website.